छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील क्रमांक 584/2006

श्री जमील हुसैन,
प्रोपराईटर,
शम्स स्पोटर्स एण्ड स्टेशनरी,
सदर बाजार, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
   कार्यालय कलेक्टर,
   आदिवासी विकास, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
   आदिवासी विकास, छ.ग.शासन,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास, छ.ग.शासन,
   रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::

(दिनांक 01 मार्च 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22–05–2006 को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर दिनांक 25–01–2006 को निकाली गई खेल सामग्री की निविदा के बारे में 04 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी। दिनांक 20–06–2006 को उन्हें जानकारी दी गई, किन्तु कुछ जानकारी को अपूर्ण माना जाकर उनके द्वारा आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास, रायपुर को अपील प्रस्तुत की गई थी। किन्तु वहां दिनांक 14–07–2006 को उन्हें उप सचिव के समक्ष अपील करने हेतु लिखा गया था और सहायक आयुक्त को शेष जानकारी नियमानुसार देने हेतु लिखा गया था। फिर भी उन्हें जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 07–12–2006 को छत्तीसगढ़ सूचना आयुक्त के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उनकी समक्ष में सुनवाई भी की गई। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः इस बिन्दु पर तर्क दिये कि पहले जो टेण्डर किया गया था उसमें क्रय समिति ने कोई निर्णय नहीं लेकर पूरे रिकार्ड सीलबंद कर दिये हैं, इस कारण रिकार्ड नहीं दिया है और निरस्त कने का कारण भी नहीं बताया। टेण्डर की जानकारी जो दी गई है उसमें केवल समिति के नाम

व पद नहीं बताये गये हैं और शर्तों का कागज नहीं दिया गया है। इस संबंध में रिकार्ड को देखने पर स्पष्ट है कि पहला टेण्डर जो निरस्त किया गया है उसमें समिति के सदस्यों ने केवल यह लिखा है कि संलग्न अभिलेख अपूर्ण होने के कारण निविदा निरस्त की गई है। किन्तु उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किस–किस के टेण्डर में कौन–कौन से अभिलेख अपूर्ण हैं। अतः इस संबंध में आवेदक को यह जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, उसे स्पष्ट रूप से बताया जावे कि उसके कौन–से कागज अपूर्ण थे, जिसके कारण निविदा निरस्त की गई थी। अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि क्रय समिति के समक्ष सीलबंद लिफाफों को पुनः खोला जावे और अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उसे स्पष्ट रूप से बताया जावे कि उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा में कौन–से संलग्न अभिलेख अपूर्ण हैं तथा साथ ही अन्य निविदाकारों के कौन–कौन से अभिलेख अपूर्ण हैं और यदि किसी अन्य कार्यवाही विवरण में पूरे कारण बताये गये हों तो उस कार्यवाही विवरण की प्रति 15 दिन में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये।

3/ इसी प्रकार दूसरे निविदा के बारे में भी जो जानकारी देना शेष रह गया है, वह भी उन्हें 15 दिन में निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। प्रकरण में चूंकि जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है, अतः इस संबंध में उसके विरूद्ध शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में अपीलार्थी के आवेदन में शासन को हानि और प्रकरण में जाँच की अपेक्षा भी की गई है, किन्तु चूँकि यह सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, अतः इस संबंध में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से ही शिकायत की जाँच का अनुरोध करना चाहिए। इसके संबंध में यदि किसी अभिलेख मांगे जाने पर उन्हें नहीं दिया जाता है, तभी वे छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष शिकायत/अपील कर सकते हैं।

4/ उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त